उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

10.02.23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 143/2022

प्रार्थीगण :–

1. मसरा पुत्र पीथा
2. पाता पुत्र पीथा
3. कृष्ण पुत्र पीथा
4. मेती पत्नी पीथा

जाति भांभी निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गीगाराम पुत्र चेलाराम
2. खीदाराम पुत्र पदमाराम
3. चेनाराम पुत्र पदमाराम
4. हरदा पुत्र पदमाराम
5. जतनो पत्नी पदमाराम फौत के कायम मुकाम 2 से 4
6. ताराराम पुत्र पूनमाराम
7. फूसीदेवी पत्नी पूनमाराम
8. भूपाराम पुत्र चंदाराम
9. डूंगराराम पुत्र चंदाराम
10. खीमाराम पुत्र पूनमाराम
11. सुरताराम पुत्र पूनमाराम
12. जबराराम पुत्र पूनमाराम
13. ठमाराम पुत्र पूनमाराम
14. प्रतापाराम पुत्रमोडाराम
15. चतराराम पुत्र मोडाराम
16. सीतादेवी पत्नी मोडाराम
17. गीता पुत्री मोडाराम
18. भंवरी पुत्री मोडाराम
19. देसू पुत्री मोडाराम
20. रमकू पुत्री मोडाराम

    जाति भांभी निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
21. गणेशाराम पुत्र नरीगाराम जाति कलबी निवासी सोढों की ढाणी तह0 गुड़ामालानी
22. तुलसाराम पुत्र चेनाराम
23. मानाराम पुत्र चेनाराम
24. वेलाराम पुत्र चेनाराम
25. मेगाराम पुत्र चेनाराम
26. सुआदेवी पत्नी चेनाराम
27. मगाराम पुत्र दलाराम

    जाति कुम्हार निवासी सोढों की ढाणी
28. थानाराम पुत्र भगवानाराम
29. पनाराम पुत्र भगवानाराम

    जाति कुम्हार निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
30. ग्राम पंचायत रतनपुरा
31. राज. राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री नारायण कुमावत् अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बाबूलाल विश्नोई विप्रार्थी संख्या 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.02.2023

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत बंटवाडा करवाकर नेखमबंदी करवाना चाहता है प्रार्थीगण के सीमाज्ञान के आवेदन पर पटवारी ने सीमाज्ञान मौके पर जाकर नहीं किया है तहसील मुख्यालय पर बैठे ही सीमाज्ञान रिपोर्ट बनाई है इसलिये प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वतः 2076–2079 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 578/402 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576/211 रकबा 2.4038 हैक्टेयर, मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 556/462 रकबा 0.8013 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 578/402 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576/211 रकबा 2.4038 हैक्टेयर, मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 556/462 रकबा 0.8013 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/2/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:04 IST
Reason: SelfAttested